UPBS010039952025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश , बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- श्री शमसुल हक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

ID- UP05752

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या- 74/2026

1. कुम्भकरन उम्र लगभग 53 साल पुत्र मतई,
2. श्रीमती इसरावती उम्र 48 साल पत्नी कुम्भकरन,
   निवासीगण ग्राम मदनपुर पोस्ट सुकरौली, तप्पा हरदी,
   परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया, जिला बस्ती।
   तहसील व जिला बस्ती। .....वादीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. राम करन उम्र लगभग 58 साल पुत्र मतई
   निवासीगण ग्राम मदनपुर पोस्ट सुकरौली, तप्पा हरदी,
   परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया, जिला बस्ती।
   तहसील व जिला बस्ती।

----------विपक्षी/प्रतिवादी

श्री चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी , एडवोकेट ---------अपीलार्थीगण

श्री जय प्रकाश त्रिपाठी , एडवोकेट ---------- विपक्षी

निर्णय

1- प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील कुम्भकरन आदि अपीलार्थीगण द्वारा राम करन के विरुद्ध विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती द्वारा मूल वाद संख्या-171/2022 कुम्भकरन बनाम राम करन में प्रार्थना पत्र 6 ग (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर पारित आदेश दिनाँकित 19.07.2025 जिसके द्वारा 6 ग प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।

2- अपीलार्थी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नगत आराजी का राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज होना मात्र वादीगण के प्रथम दृष्टया केस का खंडन नहीं है, केवल कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती ने वादी के कब्जे के विन्दु पर विचार न कर निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र निर्णीत करने में त्रुटि किया है। वादी व प्रतिवादी सगे भाई है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती ने निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र निर्णीत करने वाले आवश्यक तत्वों की विवेचना

SHAMSUL HAQUE
DISTRICT JUDGE
BASTI

Digitally signed by SHAMSUL HAQUE
Date: 2026.08.18 13:34:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सही ढंग से नही किया है। प्रतिवादी विपक्षी जोर जबरदस्ती से वादी को बेदखल करके वादी के कब्जे वाली भूमि को कब्जा करना चाहते है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती को वादी के अध्यासन को संरक्षित करने हेतु एक अन्तरिम व्यवस्था कायम करनी चाहिए थी। प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के तत्व वादी अपीलार्थी के पक्ष में है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती ने अपने आदेश में तथ्यों की कोई विवेचना नहीं किया है और औपचारिकता का निर्वहन किया है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती द्वारा पारित आदेश अनुमान और परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसके कायम रहने से अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति है। अतः अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.07.2025 निरस्त करने की याचना की गयी है।

3- विपक्षी के तरफ से आपत्ति 17 ग दाखिल किया गया है। आपत्ति में कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विवादित भूमि बंजर की भूमि है, बंजर की भूमि का स्वामित्व ग्राम समाज मे निहित होता है। जिस पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं हो सकता है। विवादित आराजी 229 क के ठीक पश्चिम आराजी नम्बर 226 मि० स्थित है जिसमें प्रतिवादी/विपक्षी को 0.12 हे० आवासीय पट्टा मिला है। विवादित भूमि इस आवासीय पट्टासुदा भूमि का एंडजेसेन्ट पार्ट है और सटी हुई संलग्न भूमि है, जिसमें प्रतिवादी का टीनशेड व मड़हला आदि है। विवादित भूमि अ,ब,स,द से वादीगण/अपीलांट का न कभी कोई वास्ता सरोकार था और न आज ही है। सुविधा का संतुलन भी विरूद्ध वादीगण है। यदि स्थगन आदेश पारित कर दिया जाता तो अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादी की होगी। इस प्रकार 6 ग निरस्त होने से वादी/अपीलार्थी की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं है। विद्वान सिविल जज (जू०डि०),बस्ती द्वारा न्यायिक ढंग से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है। उसमें कोई विधिक त्रुटि या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अपील निरस्त होने योग्य है।

4- मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद सं० 171/2022 कुंभकरण बनाम राम करन वादी / अपीलार्थीगण द्वारा विपक्षी / प्रतिवादी रामकरन के विरुद्ध वादपत्र के अंत में दिये गये नक्शा नजरी अक्षर अ,ब,स,द के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण / अपीलार्थीगण का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम मदनपुर तहसीह हर्रैया जिला बस्ती के निवासी हैं। वादीगण का मकान सहन नल शौचालय आदि वर्ष 2000 के पूर्व से बना हुआ है। वादीगण का मकान गाटा सं० 229 क रकबा 0.0130 हे० में बना हुआ है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा खेतिहर श्रमिक हैं। 3 जून 1995 के पूर्व से मकान बनाकर रह रहे हैं। प्रतिवादी का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। वादी का धारा 123 यू.पी. एक्ट के अंतर्गत तथा धारा 67 क उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत सेटिल हो चुका है। प्रतिवादी विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। वादी ने वादपत्र के साथ प्रार्थनापत्र 6 ग अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र 40 क प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी का निर्माण है तथा प्रतिवादपत्र के अंत में नक्शा नजरी में दर्शाया गया है। वादीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा कभी नहीं रहा। प्रतिवादी का रिहायशी टीनशेड विवादित भूमि पर बना हुआ है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज नहीं है। ग्राम समाज की बंजर की भूमि के रूप में दर्ज है। वादीगण का कोई स्वामित्व नहीं है। प्रतिवादी के आराजी सं० 226 मि० 1996 में 0.012 हे० का आवासीय पट्टी मिला था तथा पट्टाशुदा भूमि के सटे पूरब तरफ आराजी सं० 229 क है। दोनों भूमि को मिलाकर कुछ अंश तक अपना टीनशेड और मड़हला डाल कर प्रतिवादी रह रहे हैं। प्रतिवादी भी अनुसूचित जाति के हैं। प्रतिवादी का हक धारा 67 क उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 में सेटिल हो चुका है। विवादित भूमि 229 क ग्राम समाज बंजर के रूप में दर्ज है। प्रार्थनापत्र 6 ग पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति 28 ग प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर खतौनी की प्रति 11 ग के रूप में उपलब्ध कराई गई है। जिसमें 229 क बंजर के रूप में दर्ज है पत्रावली पर नक्शा नजरी की भी फोटों प्रति उपलब्ध करायी गई है। अमीन की रिपोर्ट भी उपलब्ध है। साथ ही साथ विवादित भूमि का नक्शा नजरी भी अमीन द्वारा उपलब्ध कराया गया है,जिसमें विवादित भूमि को अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित किया गया है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.) बस्ती द्वारा पक्षकारों को सुनने के पश्चात प्रार्थनापत्र 6 ग अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादीगण का प्रथम दृष्टया वाद न पाते हुए। दिनांक-19.07.2025 को खारिज कर दिया गया। इसी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील दायर की गई है।

विद्वान सिविल जज (जू.डि.) बस्ती द्वारा प्रथम दृष्टया वाद के संबंध में

निष्कर्ष निकालते हुए यह स्पष्ट किया गया कि वादी ने गाटा सं० 229 क रकबा 0.0130 हे० में स्वयं का मकान सहन आदि बना हुआ बताया है तथा सन् 2000 के काफी पूर्व से आबाद है, यह स्पष्ट किया गया है, तथा धारा 123 यू.पी. जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत सेटल होना भी स्पष्ट किया गया है। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से भी गाटा सं० 229 क रकबा 0.0130 हे० ग्राम समाज की बंजर भूमि बताया गया है। उसके सटे पश्चिम गाटा सं० 226 मि० प्रतिवादी का आवासीय पट्टा 0.012 हे० में 1996 में होना बताया गया तथा अपने पट्टा वाली भूमि के सटे पूरब आराजी सं० 229 क के कुछ अंश पर टीनशेड व मड़हला डालकर काफी दिन से आबाद है, यह स्पष्ट किया गया है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.) बस्ती द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि गाटा सं० 229 क रकबा 0.1580 हे० बंजर के रूप में दर्ज खतौनी है। वादी का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं है। वादी द्वारा राजस्व नक्शा की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है,जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। वादीगण विवादित भूमि पर अपना प्रथम दृष्टया कब्जा एवं स्वामित्व साबित कर सकते थे, जो बंजर की भूमि होने के कारण कब्जा एवं स्वामित्व नहीं माना जा सकता। वादी व प्रतिवादी द्वारा अन्य विन्दु उठाये गये है। इसका निस्तारण साक्ष्योंपरांत किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रथम दृष्टया वाद न पाते हुए। सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालते हुए प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है। जहां तक विवादित भूमि 229 क का प्रश्न है इस संबंध में वादी ने स्वयं खतौनी की प्रति उपलब्ध करायी है। खतौनी की प्रति में विवादित भूमि 229 क बंजर के रूप में दर्ज है, परन्तु वादी ने उक्त भूमि पर सन् 2000 से स्वयं का कब्जा होना स्पष्ट किया गया तथा धारा 123 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत सेटिल कर जाना बताया गया। चूंकि वह अनुसूचित जाति के हैं। इस संबंध में वादी ने कोई भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया है कि वादी विवादित भूमि बंजर की जमीन पर किस प्रकार से काबिज हुए है एवं धारा 123 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत उनका अधिकार सेटिल हो गया। दूसरी ओर प्रतिवादी ने भी अपना कब्जा होना बताया है तथा यह भी बताया कि उनका अधिकार धारा- 123 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत सेटल कर गया। वह भी अनुसूचित जाति के हैं। इस प्रकार दोनों पक्ष विवादित भूमि को बंजर भी कह रहे हैं तथा उस पर अपना-अपना कब्जा बता कर अपने अधिकार का धारा- 123 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत सेटिल कर जाना भी बता रहे हैं। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रकरण में गांव सभा को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे की स्थिति स्पष्ट हो। इस स्तर पर ऐसा

कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि स्पष्ट हो कि किसी एक पक्ष का विवादित भूमि पर कब्जा हो अथवा धारा 123 जमींदारी विनाश अधिनियम में अधिकार सेटल कर गये हों। इस परिस्थिति में इस स्तर पर प्रार्थनापत्र 6 ग का निस्तारण प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिया जाए। इसके अलावा जब तक गांव सभा पत्रावली में पक्षकार न बन जाए। इस परिस्थिति में प्रार्थनापत्र 6 ग का निस्तारण वाद के अंतिम निस्तारण के समय किया जाना न्यायहित में है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.) बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2025 जिसके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग निरस्त किया गया है, न्यायहित में नहीं है। इस परिस्थिति में पक्षकारों को वाद के अन्तिम निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तद्नुसार आदेश दिनांक 19.07.2025 निरस्त होने योग्य है तथा अपील स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू.डि.) बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2025 निरस्त किया जाता है। प्रार्थनापत्र 6 ग का निस्तारण वाद के अन्तिम निस्तारण के साथ किया जायेगा। तब तक पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गांव सभा को पक्षकार बनाने हेतु आवश्यक संशोधन करे।

पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो। पक्षकार नियत तिथि पर सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित हो।

दिनांक- 18.08.2026

(शमसुल हक)
जनपद न्यायाधीश,
बस्ती

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँक 18 .08.2026

(शमसुल हक)
जनपद न्यायाधीश,
बस्ती